न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 9/2019

उनवान

1. अलादीन पुत्र छोटू जाति चीता निवासी ग्राम देवला की डांग, राजोसी, नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. नजीर
2. सुबान पि0 छोटू जाति चीता निवासी ग्राम देवला की डांग, राजोसी, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद.

—— प्रतिवादी :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवला की डांग, राजोसी के खाता संख्या 69 किता 18 रकबा 2.56 व खसरा नम्बर 2489/0.12, 2198/0.21 की आराजी वादी के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी वादी के पिता छोटू की थी जिनकी मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 9 द्वारा उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की गयी। किन्तु बंदोबस्त कर्मचारियों ने उक्त आराजी पर अलादीन पुत्र छोटू के स्थान पर बाबू पुत्र छोटू अंकित कर दिया। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादी को कई परेशानियों का सामना करना पड सकता है। एवं नाना किस्म के विवाद होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम बाबू की जगह अलादीन किया जावे।

वाद दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में राजीनामे का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

ग्राम देवला की डांग, राजोसी के खाता संख्या 69 किता 18 रकबा 2.56 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम एवं व खसरा नम्बर 2489/0.12, की आराजी वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजियात में वादी का नाम अलादीन के स्थान पर बाबू अंकित है। खसरा नम्बर 2198 का राजस्व अभिलेख वादी द्वारा पेश नही किया गया है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम अलादीन है। वादी द्वारा नामान्तकरण संख्या 9 पेश किया है जिसमें छोटू की विरासत दर्ज हुयी है उक्त नामान्तकरण में छोटू के तीन पुत्र अलादीन, सुबान व नजीर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 छोटू के वारिस है। वादी द्वारा प्रस्तुत रक्षा सेवा पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम अलादीन ही दर्ज है। साथ ही ग्राम पंचायत राजोसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे त्रुटिवश बाबू अंकित हो गया है जबकि उसका वास्तविक व सही नाम अलादीन है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी उक्त कथनों को स्वीकार किया है। राज0 पैरोकार ने वाद के तथ्यों का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व अभिलेख से वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

अतः ग्राम देवला की डांग, राजोसी के खाता संख्या 69/63 किता 18 रकबा 2.56 व खसरा नम्बर 2489/0.12 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम बाबू पुत्र छोटू के स्थान पर अलादीन पुत्र छोटू अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अलादीन बनाम नजीर

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 9/2019
पेश करने की दिनांक – 23.1.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई कमलेश गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देवला की ढांग, राजोसी के खाता संख्या 69/63 किता 18 रकबा 2.56 व खसरा नम्बर 2489/0.12 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम बाबू पुत्र छोटू के स्थान पर अलादीन पुत्र छोटू अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीरावाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीरावाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुदई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner